संख्या- 80/2015/281/41-2015-40 यो0**/13 टी0सी0**

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 30मार्च, 2015

विषय- राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद मथुरा में ऐतिहासिक जलकुण्डों के जीर्णोद्धार की योजनान्तर्गत 10 ऐतिहासिक जल कुण्डों के जीर्णोद्धार की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-1852/6-1-1(405)/मथुरा-कुण्डों/2015, दिनांक 30-01-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद मथुरा में निम्नलिखित 10 ऐतिहासिक जलकुण्डों एवं तालाब के जीर्णोद्धार की योजना के लिए कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0-1208.32 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0-184.30 लाख (रू0 एक करोड चौरासी लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) कमल कुण्ड, (गोकुल)
(2) पुतना कुण्ड, (गोकुल)
(3) श्याम तलाई कुण्ड, (मॉट)
(4) ललिता कुण्ड, (नंद गॉव)
(5) टेर कदम्ब कुण्ड, (नंद गॉव)
(6) सुदर्शन कुण्ड, (गोवर्धन)
(7) पनिहारी कुण्ड।
(8) गोप तलाई।
(9) बछड कुण्ड।
(10) भद्रवन कुण्ड।

http://srasandesh.up.nic.in

1. प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जायेगा जिसकी देख-रेख में कार्यों का सम्पादन किया जायेगा।
2. मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
3. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्त्यिां/तकनीकी स्वीकृति एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/दुरावृत्ति न हो।
5. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
6. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
7. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग एवं निर्माण कार्य नियमानुसार व आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
9. सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा नियमित रूप से योजना का अनुश्रवण किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की सूचना पर्यटन निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
10. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत जल कुण्डों/तालाबों की भूमि निर्विवादित है और उसका रख-रखाव इस प्रकार किया जायेगा कि इस पर आने वाला व्यय भार राजकोष पर न पडे।

(3)- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-22-मथुरा में प्राचीन काल के 50 ऐतिहासिक जलकुण्डों एवं तालाबों का जीर्णोद्धार-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4)- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-326/दस-2015, दिनॉक 29 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(श्याम मोहन तिवारी)

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुसचिव।

<u>संख्या-80/2015/281(1)/41-2015 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल) आडिट, उत्तर प्रदेश, सत्य निष्ठा भवन, 15-ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
6- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।
7- संबंधित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
8- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in